

झारखण्ड लोक सेवा आयोग
सर्कुलर रोड, राँची-834001

प्रेस विज्ञप्ति

झारखण्ड राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभागों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के पद पर नियमित नियुक्ति (विज्ञापन संख्या-04/2018) के संबंध में आवश्यक सूचना।

झारखण्ड राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभागों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या-04/2018 की कंडिका-6(iv) के आलोक में कोटिवार रिक्ति के लिए साक्षात्कार हेतु योग्य अभ्यर्थियों की संख्या सुनिश्चित करने हेतु आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में Anthropology विषय हेतु कुल 85 अंको के विरुद्ध कोटिवार रिक्ति के 04 गुणे अभ्यर्थियों के प्राप्तांक आयोग की वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध हैं।

2. जिन अभ्यर्थियों का अंक प्रकाशित किया गया है वो अपना जन्मतिथि एवं निबंधन संख्या दर्ज कर अपना प्राप्तांक देख सकते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी को ऐसा लगे कि उसे प्रकाशित अंक से अधिक अंक प्राप्त होना चाहिए तो वह अपना दावा संगत प्रमाण पत्रों/अंक पत्रों के साथ आयोग की वेबसाईट पर प्रकाशित निर्देश के आलोक में निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक सूचना भरकर केवल email के माध्यम से दिनांक 28.06.2022 तक परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय, नियुक्ति, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची (email id-ap42018@jpsc.gov.in) को भेजना सुनिश्चित करेंगे। दिनांक 28.06.2022 के उपरांत प्राप्त email पर विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही अन्य अभ्यर्थी जिन्होंने अपने आवेदन पत्र में विज्ञापन की कंडिका-6(ii) के लिए Cut off mark से अधिक या बराबर अंक का दावा किया है परन्तु उनका अंक प्रकाशित नहीं किया है, वे भी अपनी अपत्ति निर्धारित तिथि 28.06.2022 तक email (email id-ap42018@jpsc.gov.in) के माध्यम से समर्पित कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त email पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. प्राप्त दावों/आपत्तियों पर विचारोपरान्त विज्ञापन की कंडिका-6(iv) के आलोक में साक्षात्कार हेतु औपबंधिक रूप से योग्य पाये जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए अभिलेख सत्यापन एवं साक्षात्कार आयोजित किया जायेगा। साक्षात्कार की संभावित तिथि दिनांक 02.07.2022 है। साक्षात्कार एवं अभिलेख सत्यापन के संबंध में सूचना शीघ्र ही आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध करा दी जाएगी।

ह0/-

सचिव,

झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।